

Annex (4)

पत्रांक-6/अ7-48/2002 935

भारत-सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

श्री अलखदेव प्रसाद,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
भारत, रांची ।

सेवा में,

सचिव,
सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक 27 अप्रिल, 2003

विषय:-

भारत राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को
सी०बी०एस०ई० से सम्बन्धन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार फलना है कि मानव संसाधन विकास विभाग
भारत सरकार के द्वारा विद्यार्थीपरान्त सी०बी०एस०ई० से राज्य के अन्तर्गत
संचालित निजी विद्यालयों की सम्बन्धता के लिये निर्दिष्ट विद्यालयों को नीचे
अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र करने का निर्णय लिया
गया है :-

क्रमांक- विद्यालय का नाम

1. प्रीज फोर्ड स्कूल, तमुधाना, रांची
 2. टेंडर एट सिनियर जेण्ड्री विद्यालय, तमुधाना, रांची
 3. राधागोविन्द पब्लिक स्कूल, वाराधीना, रामगढ़ जैन्ट
 4. प्रिन्सली विद्यालय, तिलैया डैम, कोडरमा ।
 5. मर्क्स इन्टरनेशनल एकादमी, मधुपुर
 6. गीता देवी डी०एस०ई० पब्लिक स्कूल देवघर ।
 7. रेडरोज स्कूल, कास्पर टाउन, देवघर ।
 8. आर०के०पब्लिक स्कूल, गढ़वा ।
 9. सरस्वती शिशु विद्यामंदिर बाघमारा, धनबाद ।
 10. गार्डन पब्लिक स्कूल, डुपरी तिलैया, कोडरमा ।
11. श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, रामगढ़ जैन्ट ।
12. सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, डहरा, रांची ।

BPK 23
सचिव
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बाघमारा

Principal
04.07.23

Saraswati Shishu Vidya Mandir
Baghmar, Dhanbad, Jharkhand
SCHOOL NO. - 66357

पु०पु०३०

4. प्रार्थना :-

1. विद्यालय की वार्षिक व्यय आय 10% से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो व्यय योग्य उपाय उभयोय भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर सुगमता देना होगा।
2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।
3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निर्बंधित या कम से कम 30 वर्षों के निर्बंधन पट्टा/लीज पर होना चाहिये। यदि भविष्य में जाचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये।
5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा।
6. गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिए सुरक्षित होगा अन्य सभी सामान्य शुल्क 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा।
7. विद्यालय का कार्य-उपाय राष्ट्रहित में होना चाहिये। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संघार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान वर्धन शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु सकारात्मक प्रयास करना होगा।
8. विद्यालय में छात्रों की समुचित संरक्षा एवं उसके अनुपात में शिक्षण होना चाहिये।
9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संरक्षा एवं योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षामरान्त रणियेन कर सकेगी।
10. विद्यालय संचालन हेतु गणित नियमावली के आधार पर गणित शारती नियमों के सदस्यों की कार्य-वर्षिक पूर्ण होने पर नये सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय में प्रभा करना होगा।
11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेंशन प्रोग्राम तथा एनओसीओसीओ, एनओएसओएसओएड एवं गाईड आदि को सुचारु रूप से करना होगा।
12. यदि कोई सस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना होगा अन्यथा अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।
13. उपर्युक्त शर्तों या बन्धनों के अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।
14. अनापति प्रमाण-पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित जागजातो एवं अभिलेखों को जाली अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाये या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्यहित के विरुद्ध किया जा रहा है हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक सुदृढता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।

Spldy
27-23
सचिव

सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बाघमारा

Principal
27-23

Saraswati Shishu Vidya Mandir
Baghmara, Dhanbad, Jharkhand
202030
Phone No. - 86357

135
21/4/2003

है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास आरखंड के सहायक पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार भय जाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं आकास्मिक अनियमितताओं की जाँच करा उस सहेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सहेगी ।

- 16. स्तव विद्ययुक्त रिती प्रकार के व्याक्ति मामलों का निपटारा माननीय आरखंड उच्च न्यायालय, रांची के लेखाधिकार के अन्तर्गत होगा ।
- 17. समय-समय पर लोडशिट के सरकार द्वारा विद्यालय सञ्चयन संधी जो निर्णय लिए जायें उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शाक्तों के उत्कासन भान्ते हुए अनापत्ति छुट प्रभाण-पत्र जपरा लेने के साथ-साथ उच्च जाकुनी कार्रवाई भी की जा सहेगी ।

विश्वामोहन

21/4/2003
१ आलखदेव प्रसाद
निदेशाज्ज् माध्यमिक शिक्षा
आरखंड, रांची ।

आपाठ 935 / रांची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003
प्रतिनिधि, संबन्धित सभी क्षेत्रीय उप निदेशाज्ज्/रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी/
सभी संबन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य को सूचनार्थ प्रेषित ।

21/4/2003
१ आलखदेव प्रसाद
निदेशाज्ज् माध्यमिक शिक्षा
आरखंड, रांची ।

आपाठ 935 / रांची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003
प्रति निधि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव के सचिव मानव संसाधन विकास
विभाग को सूचनार्थ स्व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/4/2003
१ आलखदेव प्रसाद
निदेशाज्ज् माध्यमिक शिक्षा
आरखंड, रांची ।

Spk
04 सचिव
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बाघमारा

(2)
Principal
Saraswati Shishu Vidya Mandir
Baghmara, Dhanbad, Jharkhand
SCHOOL NO.- 66357